

प्रेस विज्ञप्ति  
थाना- मेहनगर

अवैध देशी तमंचा 315 बोर व कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 12.09.2020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से शस्त्र व अवैध शराब तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र०नि० दुजेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० पंकज यादव, हे०का० राजेश चौधरी, का० उत्तम प्रताप सिंह, का० धर्मवीर प्रजापति, का० कमलेश कुमार, म०का० दीक्षा मिश्रा द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर कि थाना मेहनगर में पंजीकृत हुए मु०अ०सं० 131/20 से संबंधित अभियुक्त जो अवैध देशी तमंचा लेकर दहशत फैलाने वाला बदमाश अमरजीत उर्फ बबलू दूबे पुत्र दामोदर दूबे सा० सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ जो एक अदद अवैध देशी तमंचा के साथ बोंगरिया बाजार की तरफ से आ रहा है कि मुखबीर खास की सूचना व त्वरित कार्यवाही करते हुए मय टीम मय मुखबीर खास के रायपुर पट्टी पुलिया पर आकर मय टीम के फिनिहिनी मार्ग पर अभियुक्त उपरोक्त को दौड़ाकर समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध देशी तमंचा व एक अदद कारतूस 315 जिन्दा नाजायज बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 140/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त अमरजीत उर्फ बबलू दूबे पुत्र दामोदर दूबे सा० सुल्तानीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 140/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास

1- मु०अ०सं० 131/20 धारा 147/148/149/279/337/338 भा०द०वि०

2- मु०अ०सं० 140/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र०नि० दुजेन्द्र कुमार सिंह, उ०नि० पंकज यादव, हे०का० राजेश चौधरी, का० कमलेश कुमार, का० उत्तम प्रताप, का० धर्मवीर प्रजापति, म०का० दीक्षा मिश्रा, का० चालक ललित नारायण सिंह यादव।

थाना मुबारकपुर

01 वांछित गिरफ्तार

दिनांक 10.9.2020 को वादी श्री शिवमणि पुत्र ओमप्रकाश मणि निवासी मुहल्ला आर्य नगर थाना जीयनपुर आजमगढ़ थाना आकर सूचना दिये कि ट्रक न०- UP50BT4546 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी के पिता ओमप्रकाश मणि के स्कुटी में पिछे से टक्कर मार देने जिससे वादी के पिता ओमप्रकाश मणि उम्र 42 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो जाने व स्कुटी पर पिछे बैठी वादी के माता तारा देवी को गम्भर चोट लगने जिनका इलाज विजय सुपर स्पेसिलटी अस्पताल लक्षिरामपुर आजमगढ़ में चल रहा है के सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 184/2020 धारा- 279,337,338,304A भादवि पंजीकृत है।

**गिरफ्तारी का विवरण** –आज दिनांक12.9.020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व मे उ.नि. श्रीकृष्ण प्रजापति मय हमराह द्वारा पर मु0अ0स0- 184/2020 धारा-279 ,337,338,304A भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी खौरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को रोडवेज कस्बा मुबारकपुर से समय-10.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0स0- 184/2020 धारा-279,337,338,304A भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

बृजेश कुमार यादव पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी खौरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

उ.नि. श्रीकृष्ण प्रजापतिथाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 सुनील सिंह थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़